फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम दुर्गासिंह

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर (टी. आई.)

केस संख्या 13/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	01/07/25	अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रा० पत्र टी. आई. की प्रस्तुत नहीं है। अतः पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. दिनांक 14/07/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	14/07/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/07/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	23/07/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. व तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से अपनी बहस में कथन किया गया है कि मिन प्रार्थी/वादी की ओर से वादग्रस्त ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि ख.नं. 1105/2260, 1366/1, 1655, 1749/2627 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 0.93 है. के सम्बन्ध में मिन प्रार्थी वादी को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित [illegible] का मूलवाद [illegible] वादी द्वारा [illegible] हिस्सा को भूमि के तत्कालीन [illegible] अशिक्षित सहखातेदार नारायण सिंह जो कि अप्रार्थी (प्रतिवादी) नं 3 का पिता है से जरिये पंजीकृत	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:18:55 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम दुर्गासिंह

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 13/2023 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	23/7/25	विक्रय पत्र दिनांक 03/05/16 से क्रय की गई थी। जिसके आधार पर प्रार्थी भूमि प्राप्त कर अपने हिस्सानुसार भूमि पर काबिज होकर भूमि का अपना उपयोग करता आ रहा है तथा अपना पुख्ता आवासीय मकान भी बना रखा है। प्रार्थी वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो भूमि क्रय किए जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही को नहीं समझता है जिससे प्रार्थी वादी द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि का नामान्तकरण अज्ञानतावश नहीं खुलवाया जा सका। कालान्तर में विक्रेता खातेदार नारायण सिंह पुत्र फूलसिंह की मृत्यु दिनांक 17.06.19 को हो जाने के पश्चात मृतक खातेदार के पुत्र अप्रार्थी-1 दुर्गासिंह पुत्र नारायण सिंह ने प्रक्रिया के अनुसार भूमि का नामान्तकरण स्वयं के अकेले के नाम दर्ज करवा लिया। जबकि भूमि के जिन प्रार्थी (वादी) का भी उक्त भूमि के मृतक खातेदार नारायणसिंह पुत्र फूलसिंह के निहित हिस्से 2675/8475 हर हिस्सा 1/4 में से 600/2675 हिस्सा निहित था। जिसके बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी (प्रतिवादी) से नामान्तकरण खुलवाने जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अप्रार्थी प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट इंकार को दिये जाने पर जिस प्रार्थी द्वारा वाद मय प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार मूलवाद वादी [illegible]	

P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम दुर्गासिंह व

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 13/2023 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	23/7/25	प्रक्रिया में लम्बित है तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही विधि अनुसार पूर्व में ही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा बावजूद विधिवत जारी सूचना/नोटिस के न्यायालय हाजा के समक्ष वाद पत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का किसी भी [illegible] आधार पर कोई खंडन अथवा प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि प्रार्थी/वादी द्वारा अपनी विधिवत क्रयशुदा भूमि के संदर्भ में अनुतोष चाहा गया है (जिसका) प्रार्थी/वादी तथ्य के अंतर्गत अधिकारी है तथा प्रार्थी/वादी के अपेक्षित अनुतोष तथ्य के विषय है। जिसके संदर्भ में कार्यवाही दरकार है तथा प्रकरण अंतिम स्तर पर लम्बित है। जिसका शीघ्र निस्तारण भी अपेक्षित है। ऐसी अवस्था में वाद के निर्णय/निस्तारण तक भूमि वादग्रस्त को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को मूलवाद के निस्तारण तक [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद अधीन उल्लेखित भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/वादी	

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:13:55 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 13/2023 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/07/25	द्वारा स्वयं की विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत क्रयशुदा भूमि के संदर्भ में मूलवाद मय हस्तगत प्रार्थनापत्र टी.आई. के प्रस्तुत किया गया है। जो साक्ष्य, जिरह प्रक्रिया में नियत है तथा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित है। अप्रार्थी प्रतिवादी की ओर से वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. का किसी भी स्तर पर व किसी भी रूप में कोई जवाब खंडन/प्रतिरोध भी आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि मूलवाद का अंतिम निर्णय साक्ष्यों की गुणवत्ता का विषय है, जिसके संदर्भ में कार्यवाही अंतिम स्तर पर लम्बित है तथा प्रकरण का शीघ्र निस्तारण प्रतीत अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि को वाद के निर्णय तक कंट्रोवर्सी रखा जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः वाद बहुलता, न्यायहित व प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थी का प्रार्थनापत्र टी.आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त अनुसूचित भूमि आराजी खसरा नं. 1105/2260, 1366/1, 1655, 1749/2627 कुल खसरा किता 04 कुल रकबा 0.93 हे. वाके ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें तथा अन्य विशिष्ट भू नामान्तरण का बेचान आदि ना करें। निर्णय सुनाया गया। P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम [illegible]

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 13/2023 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/07/25	पत्रावली फैसल शुमार होकर रजि. नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:13:55 IST
Reason: SelfAttested